# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

**अपील प्रकरण क्रमांक 326/2006**

श्री जवाहर नागदेव,
सी–3, आर.डी.ए. बिल्डिंग, शारदा चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,
तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
( दिनांक 25 जनवरी 2007 )

श्री जवाहर नागदेव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

**2/** अपीलार्थी अपने अपील–पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा सूचना अधिकारी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर से 05 बिन्दुओं पर आवेदन पत्र दिनांक 03–03–2006 द्वारा जानकारी चाही थी।

**3/** जन सूचना अधिकारी के द्वारा बिन्दु क्रमांक–1 की जानकारी पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के कार्यालय में उपलब्ध होने के कारण उन्हें सूचित किया गया तथा अध्यक्ष, राजीव गृह निर्माण संस्था से जानकारी चाही गई। जानकारी समय पर उपलब्ध न होने के कारण अपीलार्थी ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 20–07–2006 के द्वारा अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये। वांछित जानकारी प्राप्त न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की।

**4/** आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 09–10–2006 को अपूर्ण व विलम्ब से जानकारी देने के लिए कक्ष प्रभारी, गृह निर्माण सहकारी संस्था तथा शिकायत कक्ष के प्रभारी एवं संयुक्त पंजीयक को 10,000–10,000 रूपए प्रत्येक को क्यों न शास्ति आरोपित किया जावे, का नोटिस जारी किया गया।

**5/** आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया। राजीव गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से आयोग के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि बिन्दु क्रमांक–1 की जानकारी पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ के कार्यालय से संबंधित होने के कारण आवेदक को सूचित किया गया

तथा अध्यक्ष, राजीव गृह निर्माण सहकारी समिति से जानकारी चाही गई। प्रतिअपीलार्थी ने यह बतलाया कि अध्यक्ष के द्वारा सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2 के अंतर्गत सहकारी समिति को राज्य शासन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती, अतः अधिनियम समिति पर प्रभावशील नहीं है। अतः उन्होंने जानकारी नहीं दी। उसके द्वारा यह भी बतलाया गया कि समिति से जानकारी प्राप्त न होने के कारण आवेदक को जानकारी नहीं दी जा सकती। अपीलार्थी ने अपने लिखित बहस में बतलाया कि संस्था के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मामला दर्ज होने के संबंध में संस्था से पूछा गया, जबकि यह जानकारी संयुक्त पंजीयक के कार्यालय में होना चाहिए। अपीलार्थी ने बिन्दु क्रं. 1 में भजन दास हबलानी के द्वारा मांगी गई जानकारी उसे भी दिए जाने, बिन्दु क्रं. 2 में राजीव गृह निर्माण सहकारी समिति की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं वे कितनी बार दोषी पाये गये, बिन्दु क्रं. 3 में डॉ चोईथ राम बजाज, अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, बिन्दु क्रं. 4 में समिति के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मामला दर्ज करने, बिन्दु क्रं. 5 में सहकारिता विभाग में प्रकरणों का निपटारा निर्धारित अवधि में न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में जानकारी चाही गई है। संयुक्त पंजीयक ने उक्त बिन्दुओं की जानकारी जन सूचना अधिकारी को दिनांक 25–07–2006 को दी। उनके द्वारा जवाब में बतलाया गया कि संबंधित सहकारी संस्था से बार–बार जानकारी मांगी गई किन्तु उनके द्वारा जानकारी नहीं दी गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने कारण बताओ नोटिस के जवाब में बतलाया गया कि संयुक्त पंजीयक से प्राप्त जानकारी आवेदक को सूचित की गई। संयुक्त पंजीयक ने बतलाया कि संस्था ने जानकारी इस आधार पर नहीं दी कि संस्था सूचना के अधिकार के अंतर्गत शासन के द्वारा वित्त पोषित नहीं है।

**6/** प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में तथा संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी। संस्था एवं संस्था के अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा की जाती है तथा यह जानकारी जिला स्तर पर नहीं रहती। इसी प्रकार आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में समिति के विरूद्ध कोई मामला दर्ज हुआ या नहीं, यह जानकारी संयुक्त पंजीयक कार्यालय से न मांगकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से ही मांगी जानी चाहिए क्योंकि प्रकरण आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ही जांच उपरांत दर्ज किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा बिन्दु क्रं. 5 में मांगी गई जानकारी अस्पष्ट है। इसी प्रकार भजन दास हबलानी का प्रकरण पृथक से आयोग के समक्ष द्वितीय अपील में विचाराधीन है। किसी आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी चाही गई है, उसी जानकारी को कोई यदि दूसरा आवेदक चाहता है तो उसे नियमानुसार पृथक से आवेदन एवं अभिलेख शुल्क देकर मांग करना चाहिए। अन्य प्रकरण के साथ इसे समावेश कर मांगना उचित नहीं है।

**7/** उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं, रायपुर के द्वारा जानबूझकर विलंब नहीं किया गया है। उनके द्वारा संस्था से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया किन्तु जानकारी प्राप्त न होने के कारण वे जानकारी देने में असमर्थ रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि लोक प्राधिकारी अथवा सूचना अधिकारी वही जानकारी उपलब्ध करा सकता है जो कि उसके पहुंच के

अंदर है। राजीव गृह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा जानकारी इस आधार पर सूचना अधिकारी को प्रदत्त नहीं की गई कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि उक्त संस्था को शासन से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त नहीं होता। संस्था राज्य शासन से वित्त पोषित नहीं है। अपीलार्थी यदि संस्था का सदस्य है तो उसे सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत संस्था के सदस्य के नाते संस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है अतः वह सहकारी अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी के द्वारा बिन्दु क्रमांक–2 की जानकारी यद्यपि जन सूचना अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के कार्यालय में नहीं थी। उक्त जानकारी पंजीयक, सहकारी संस्थाओं से प्राप्त करने हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रायपुर के द्वारा पत्र लिखा गया। चूँकि संस्थाओं के अध्यक्षों अथवा समितियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकारी पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदन–पत्र की प्रति सूचना अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को भेजी जावे तथा सूचना अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ अपीलार्थी को आवेदन–पत्र प्राप्त होने के 20 दिन के अंदर जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करावें।

8/ चूंकि अपीलार्थी को संयुक्त पंजीयक एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर एवं विलंब से जानकारी नहीं दिए जाने का प्रमाण नहीं है अतः उनके विरूद्ध जारी किया गया अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

की धारा–19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील दिनांक 9–3–2006 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आवेदक के द्वारा यह अपील विशेष सचिव, छ.ग.शासन वाणिज्य उद्योग एवं साार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं प्रथम अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 4–3–2006 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। आवेदक के द्वारा राजीव शासन को दो आवेदन पत्र दिये गये, जिसके अनुसार प्रथम आवेदन पत्र में टाटा स्टील के साथ किये गये एम.ओ.यू. की प्रति तथा संबंधित नस्ती के नोटशीट की प्रमाणित प्रति एवं द्वितीय आवेदन पत्र में एस.आर.स्टील के साथ राजीव शासन द्वारा किये गये एम.ओ.यू. की प्रति तथा संबंधित नस्ती के नोटशीट की प्रमाणित प्रति चाही गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार किया कि उक्त दोनों एम.ओ.यू. में यह शर्त रखी गई कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को जानकारी उपलब्ध नहीं करायेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(F) में नस्ती में दी गई टीप को सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अतः सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील विशेष सचिव, छ.ग.शासन वाणिज्य उद्योग एवं साार्वजनिक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत की। विशेष सचिव के द्वारा आदेश दिया गया कि

प्रकरण में टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील से एम.ओ.यू. की प्रति देने के बारे में उनका अभिमत लिया जावे तथा फाईल नोटिंग के संबंध में भारत सरकार को संदर्भ किया जाकर जानकारी ली जावे कि फाईल नोटिंग की प्रति दी जा सकती है अथवा नहीं। इस आदेश के विरूद्ध संस्थाएँने यह अपील की।

आयोग के द्वारा प्रतिसंस्थाएँको नोटिस जारी किया गया तथा प्रकरण में तृतीय पक्ष अर्थात् टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील भी संबंधित हैं उन्हें भी नोटिस दिया गया। दिनांक 6–7–2006 को टाटा स्टील की ओर से बताया गया कि उन्हें एम.ओ.यू. की प्रति देने में कोई आपत्ति नहीं है। शासन की ओर से भी श्री एस.आर.ब्राम्हणे, उप सचिव, छ. ग.शासन ने बताया कि टाटा एवं एस.आर.स्टील दोनों में एम.ओ.यू. की प्रति दिये जाने में अनापत्ति दे दी है।

मेरे द्वारा प्रकरण के संबंधित पक्षकारों को सुना गया। जन सूचना अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं टाटा स्टील तथा एस.आर.स्टील के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति दिये जाने में कोई आपत्ति होना नहीं बतलाया। अतः इन दोनों कंपनियों के साथ राजीव शासन के साथ हुए एम.ओ.यू. की प्रति संस्थाएँको प्रदान की जावे। राजीव शासन की ओर से बताया गया कि एम.ओ.यू. की प्रति संस्थाएँको देने की कार्यवाही की जा रही है। जहां तक संबंधित नस्ती की नोटशीट की प्रति देने का संबंध है, राजीव शासन का अभिमत है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की वेबसाईट में सूचना की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा में फाईल नोटिंग सम्मिलित नहीं है। अतः संस्थाएँको संबंधित नस्तियों की प्रति नहीं दी जा सकती। संस्थाएँकी ओर से बताया गया कि मूल अधिनियम की धारा–2(F) में सूचना की परिभाषा में फाईल नोटिंग नहीं होने का कहीं उल्लेख नहीं है। अतः संस्थाएँको फाईल नोटिंग की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है।

अधिनियम की धारा–2 स्पष्ट है तथा उसमें सूचना की परिभाषा में फाईल पर हुई टीप को सम्मिलित नहीं किये जाने का उल्लेख नहीं है। अतः आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संस्थाएँको टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील दोनों के साथ हुए एम.ओ.यू. से संबंधित नस्ती की टीप की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में तृतीय पक्ष भी सम्मिलित था और उसे भी सुना जाना आवश्यक था तथा वैधानिक बिन्दु के संबंध में सूचना अधिकारी को भ्रम की स्थिति थी। सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश सूचना नहीं दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः सूचना अधिकारी पर वांछित जानकारी प्रदान नहीं करने के संबंध में अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है।

सूचना अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे संस्थाएँको जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित फीस की सूचना 07 दिन के अंदर दें एवं राशि संस्थाएँके द्वारा जमा कराई जाने पर निर्धारित अवधि में संस्थाएँको नियमानुसार राजीव शासन के द्वारा किये गये टाटा स्टील एवं एस.आर.स्टील के साथ किये गये एम. ओ.यू. की प्रतियां प्रदान करें साथ ही उक्त दोनों एम.ओ.यू. से संबंधित नस्तियों पर हुई नोटिंग की प्रतियां भी प्रदान की जावे।

संस्थाएँकी अपील स्वीकार की जाती है।

**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राजीव मुख्य सूचना आयुक्त